भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *203

उत्तर देने की तारीख 21 दिसम्बर, 2022

निःशुल्क इंटरनेट सुविधा

***203. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:**

श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में लोग निःशुल्क इंटरनेट सुविधा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और ऑनलाइन सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का उन लोगों को निःशुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान करने का विचार है जिनकी इंटरनेट सुविधा तक पहुंच नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न भागों में निःशुल्क इंटरनेट सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जारी..2/

लोक सभा में "नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा"के संबंध में दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *203 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में सदन के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2022 को जारी की गई रिपोर्ट "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक" के अनुसार 30 जून, 2022 तक देश में कुल 836.86 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता थे जो किप्रति 100 व्यक्ति 60.73 इंटरनेट उपभोक्ता है।

इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) लाइसेंस/प्राधिकार प्राप्त लाइसेंस धारक और प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम वाणी) फ्रेमवर्क के तहत पंजीकृत पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीओए) को अपने तकनीकी-वाणिज्यिक महत्व के आधार पर क्रमश: लाइसेंस संबंधी शर्तों/पीएम वाणी फ्रेमवर्क के अनुसार इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। वर्तमान में मंत्रालय के पास नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****